



यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

U J V N Limited

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

मानव संसाधन विभाग, "यमुना भवन", यमुना कालोनी, देहरादून - 248001 (उत्तराखण्ड)
Human Resources Department, "Yamuna Bhawan", Yamuna Colony, Dehradun - 248 001 (Uttarakhand)
दूरभाष / Phone-0135-2530030/2530061/2530584/2530909/2531975 फैक्स / Fax-0135-2531343/2531646 Website: www.ujvnl.com CIN No. U40101UR2001SGC025866

ISO 9001 : 2008 Certified

संख्या -9842-यूजेवीएनलि/05/कार्मिक/अनु0-1/ए-6

दिनांक: नवम्बर, 19, 2015

विषय:-यूजेवीएन लि0 के समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों जिनके वेतनमान दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित किये जा चुके हैं, को मंहगाई भत्ते के भुगतान हेतु दिनांक 01 जुलाई, 2015 से लागू करें।

समस्त महाप्रबन्धक,
समस्त उपमहाप्रबन्धक,
यूजेवीएन लि0।

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक-210-xxvii (7)02/2010 दिनांक 30-10-2015, शासनादेश संख्या-632/I/2009-05-90/TC/2008 दिनांक 02,मार्च,2009 एवं शासनादेश संख्या- 430/I/ (2) 2009-05-90/TC/2008 दिनांक 19,मार्च,2009 के अनुपालन में एवं यूजेवीएन लि0, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या-5097-यूजेवीएनलि/05/कार्मिक/अनु0-1/ए-6 दिनांक 19, जून, 2015 के अनुक्रम में दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों में यूजेवीएनलि0 के अन्तर्गत कार्यरत समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01-07-2015 से निम्नानुसार संशोधित दर पर मंहगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

तिथि जिस दिन से देय है	प्रतिमाह मंहगाई भत्ते की दर (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड पे)
01 जुलाई, 2015	(वेतन + ग्रेड पे) का 119 प्रतिशत

- इस आदेश में स्वीकृत मंहगाई भत्ते के आंकलन हेतु वेतन का तात्पर्य दिनांक 1-1-2006 से लागू पुनरीक्षित वेतनामानों में कर्मचारियों को अनुमन्य मूल वेतन जैसा कि मूल नियम-9(2)(1) में परिभाषित है, से होगा अर्थात् मंहगाई भत्ते के आंगणन हेतु विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/ वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियमों के अन्तर्गत वेतन की परिभाषा में आते हो, को मंहगाई भत्ते के आंगणन हेतु मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- इस आदेश द्वारा स्वीकृत संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01, जुलाई, 2015 से 31, अक्टूबर, 2015 तक (सेवा निवृत्त एवं 6 माह के अधीन सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को छोड़कर) की बढ़ी धनराशि को कार्मिकों के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा।
- ई0पी0एफ0 से आच्छादित कार्मिकों को दिनांक 01, जुलाई, 2015 से 31, अक्टूबर, 2015 तक देय मंहगाई भत्ते के एरियर की 12 प्रतिशत धनराशि ई0पी0एफ0 अभिदान के रूप में कटौती करने के पश्चात शेष धनराशि बाण्ड/एनएससी/पी0पी0एफ के रूप में जमा की जायेगी। इस सम्बन्ध में लेखा विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 252-उजविनिलि/नि0(वि)/दिनांक 26-09-2009 के अनुसार ही कार्यवाही अपेक्षित होगी।

5- दिनांक 01 नवम्बर, 2015 से कार्मिकों को मंहगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जायेगा।

कमश:.....2/-


- 6- अवकाश नकदीकरण में अनुमन्य मंहगाई भत्ते को उसी प्रकार माना जायेगा जिस प्रकार कार्यावधि (ड्यूटी पीरिएड) के लिए माना जाता है।
- 7- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की देय धनराशि की गणनाक्रम में निकटतम एक रुपये तक पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे और उससे अधिक का पूरा रुपया माना जायेगा और 50 पैसे से कम धनराशि को शून्य मानकर छोड़ दिया जायेगा।
- 8- उक्त आदेशानुसार स्वीकृत बड़े हुये मंहगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु उपमुख्य लेखाधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष

संख्या:-9842 (1)यूजेवीएनलि/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, अध्यक्ष, यूजेवीएन लि0, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लि0, देहरादून।
- 3- निदेशक(परियोजनाएं)/ (परिचालन)/ (वित्त)/ (मा0सं0), यूजेवीएन लि0, देहरादून।
- 4- अधिशासी निदेशक(जानपद)/ (वित्त)/ (वि0/यांत्रिक)/ (मा0सं0), यूजेवीएन लि0, देहरादून।
- 5- उपमहाप्रबन्धक (आई0टी0), यूजेवीएन लि0, देहरादून को निगम की वैबसाईट शीर्षक "NIGAM's ORDERS-HR" पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 6- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, यूजेवीएन लि0, देहरादून।


(एस0 के0 चोपड़ा)
अधिशासी निदेशक (मा0सं0)

ABER
For upload on
website
AO
1/12/15



यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

U J V N Limited

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

मानव संसाधन विभाग, "यमुना भवन", यमुना कालोनी, देहरादून - 248001 (उत्तराखण्ड)
Human Resources Department, "Yamuna Bhawan", Yamuna Colony, Dehradun - 248 001 (Uttarakhand)
दूरभाष/Phone-0135-2530030/2530061/2530584/2530909/2531975 फैक्स/Fax-0135-2531343/2531646 Website: www.ujvnl.com CIN No. U40101UR2001SGC025866

ISO 9001 : 2008 Certified

संख्या -10103 -यूजेवीएनलि/05/कार्मिक/अनु0-1/ए-6

दिनांक: नवम्बर, 19 ,2015

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- यूजेवीएन लि0 के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को मंहगाई राहत की स्वीकृति ।

दिनांक 01, जनवरी, 2006 से वेतन/भत्ते पुनरीक्षण विषयक निगमादेश संख्या -1932 दिनांक 02, मार्च, 2009 एवं संख्या-2487 दिनांक 21-3-2009 संपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या -5389- यूजेवीएनलि/ 05/कार्मिक/अनु0-1/ए-6 दिनांक 19-06-2015, जिसके अनुसार दिनांक 01, जनवरी, 2015 से 113 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत अनुमन्य थी, के क्रम में उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक-211-xxvii (7) 02/2010 दिनांक 30-10-2015 की अनुरूपता में, ऐसे समस्त पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स जिन्हें यूजेवीएनलि से पेंशन/पारिवारिक पेंशन देय है, को दिनांक 01-07-2015 से 119 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत दिये जाने की एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

- 2- मंहगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउंड कर दिया जायेगा ।
- 3- उक्त देय मंहगाई राहत का भुगतान यूजेवीएन लि0 के संबंधित पेंशन खण्डों द्वारा उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-449 दिनांक 09-03-2004 की अनुरूपता में संबंधित कोषागारों के माध्यम से किया जायेगा । जिन पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स के पी0पी0ओ0 कोषागारों को प्रेषित किये जा चुके हैं उन्हें पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये अलग से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी ।
- 4- मंहगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व में निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् प्रवृत्त रहेंगे ।

iv.No. 944 / DGM(I.F.)JUN

File Mark... N-2

dated 30/11/15

प्रबन्ध निदेशक

संख्या:-10103(1)यूजेवीएनलि/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, अध्यक्ष, यूजेवीएन लि0, देहरादून ।
- 2- निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लि0, देहरादून ।
- 3- निदेशक(परियोजनाएँ)/ (परिचालन)/ (वित्त)/ (मा0सं0), यूजेवीएन लि0, देहरादून ।
- 4- अधिशासी निदेशक(जानपद)/ (वित्त)/ (वि0/यांत्रिक)/ (मा0सं0), यूजेवीएन लि0, देहरादून ।
- 5- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड शासन, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून ।
- 6- समस्त महाप्रबन्धक, यूजेवीएन लि0 ।
- 7- समस्त उपमहाप्रबन्धक, यूजेवीएन लि0 ।
- 8- उपमहाप्रबन्धक (आई0टी0), यूजेवीएन लि0, देहरादून को निगम की वेबसाईट शीर्षक "NIGAM's ORDERS-HR" पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 9- समस्त अधिशासी अभियन्ता, यूजेवीएन लि0 ।
- 10- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/ वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी, यूजेवीएन लि0, देहरादून ।
- 11- सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 84/1, बंसत विहार, देहरादून ।
- 12- उत्तरांचल विद्युत पेंशनर्स कल्याण समिति, हरबर्टपुर ।

ARZAN
Pl. upload on
website
30/11/15

30/11/15
SM(KIT)

19.11.15
(एस0 के0 चोपड़ा)
अधिशासी निदेशक (मा0सं0)